आदेश	उनवान – गीता बनाम प्यारसी मु.नं. 355/2022 **कार्यवाही विवरण**	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
20/02/2025	पत्रावली पेश हुई। फिलहाल में प्रार्थना पत्र - 07 R 11 CPC पर बहस दिनांक 23/01/2025 को सुनी गयी थी। वास्ते आदेश आज पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है वादिया ने वाद पत्र मद संख्या 11, 12 व 13 में वादीया द्वारा दिनांक 10/2/2016 को प्रतिवादी संख्या 01 के हक में किये गये पंजीकृत हकत्याग पत्र को साज करके - कपट व धोके से करवाया कथित किया है व हकत्याग - पत्र दिनांक 10/02/2016 को नल एण्ड वोईड होना - कथित किया है। वादिया द्वारा वाद पत्र की धारा संख्या /मद संख्या 13 में हक त्याग पत्र दिनांक 10/02/2016 को साजिश से वादीया की इच्छा से हकत्याग पत्र नहीं किये जाने का कथन कर हकत्याग पत्र को फर्जी बताकर नल एण्ड वोइड घोषित करवाने का कथन किया है। वादिया ने उक्त वे अनुतोष 2025 में हकत्याग पत्र दिनांक 10/02/2016 को नल एण्ड वोईड घोषित करने का चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधि. 1955 की धारा तृतीय अनुसूची में हकत्याग पत्र को निरस्त करने का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त नहीं है। वादिया का मौजूदा वाद पत्र के आधार पर हकत्याग दिनांक 10/02/2016 को निरस्त करने का अनुतोष प्राप्त करना अदालत हाजा को विधि वर्जित है। वादिया द्वारा फौतगी इन्तकाल दर्ज होने के करीब 28-29 वर्ष बाद मौजूद वाद पत्र पेश किया है तथा वादिया का विवादित आराजी पर कब्जा नहीं है। इस कारण वादिया का वाद पत्र मियाद बाहर होने व कब्जे के अभाव में वाद कारण पैदा नहीं हुआ है। वादिया गीता देवी द्वारा प्रतिवादी प्यारी देवी के पक्ष में अपना सम्पूर्ण हिस्सा को रजिस्टर्ड हकत्याग किया था। जिससे उक्त भूमि की प्रतिवादी संख्या 01 प्यारी देवी अकेली खातेदार थी उसके बाद प्यारी देवी के स्वर्गवास के उपरांत उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी मण्डावा	

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	उसके वारिसान संतरा देवी, संतोष देवी व कृष्ण चंद के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हुये। संतरा देवी व संतोष देवी ने उक्त भूमि में अपना-अपना हिस्सा बजरिये रजिस्टर्ड हकत्याग अपने भाई कृष्णचंद के पक्ष में हकत्याग कर दिया है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि कृष्ण चन्द पुत्र ज्याली देवी के हक में आ गई और वह अकेला उक्त भूमि का अकेला काश्तकार हो गया। प्रतिवादी नं 03 व 04 ने विवादित भूमि खसरा नं० 405, 406 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/05/2025 को उक्त कृष्ण चंद से खरीदी थी जिसका नामान्तरण 2036 दिनांक 12.07.25 से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। मौजूदा वाद पत्र के जरिये वादिया ने हकत्याग पत्र को सिविल न्यायालय से निरस्त कराये जाने बिना अदालत राजस्व से राजस्व में उल्लेखित अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी विधि द्वारा वर्जित होने से प्राप्त नहीं है अतः वादिया का वाद प्रार्थना पत्र पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। — वादी (अप्रार्थी) पक्ष की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की धारा 01 जिस प्रकार से दर्ज की गयी है अस्वीकार है। उक्त वाद पत्र का अवलोकन किया जावे तो इसके धारा 20 अनुतोष में वादिया को वादग्रस्त भूमि ख.न. 405 व 406 का खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया तथा स्थाई — निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। वाद पत्र का समग्र पठन किया जाना चाहिये। जिसमें मंतव्य स्पष्ट है। वाद पत्र/ प्रार्थना पत्र की धारा 02 व 03 की धारा अस्वीकार है। वाद पत्र में वर्णित अनुतोष प्रदान करने के लिये — न्यायालय सक्षम है। यह कहना गलत है की वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थना पत्र की धारा 04 अस्वीकार है यह कहना गलत है की वादिया का विवादित भूमि पर कब्जा न होकर यह कहना गलत है कि वाद पत्र विवाद कहां है तथा वाद कारण उत्पन्न न हुआ है।	(हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी मण्डावा

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
[signature]	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र की धारा 05 अस्वीकार है। इस धारा में वर्णित तथ्यों के विनायक विस्तृत तथ्य मूल वाद में दर्ज किये जा चुके हैं पुनरावृत्ति आवश्यक नहीं है। प्रार्थना पत्र पत्र 06, 07, 08 अस्वीकार है। अतः प्रार्थना 07 R11 CPC खारिज किया जावे। हमने मिसल का अवलोकन किया। प्रार्थना प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। यह तथ्य निर्विवाद रूप सही है कि वादिया द्वारा प्रतिवादिया नं. 01 के पक्ष में पंजीबद्ध हकत्याग पत्र विलेख दिनांक 10/02/2016 के द्वारा किया जाना साबित है। इससे साबित है कि वादिया पूर्व में वाद ग्रस्त भूमि की खातेदार नहीं रही है। अब वादपत्र में यह कथन है कि वादिया से जालसाजी या फर्जी तरीके से हकत्याग प्रतिवादिया ने करवा लिया। उक्त तथ्य प्रथम दृष्टया मिथ्या साबित है प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC के स्वीकार। अस्वीकार किये जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से तथ्य अंकित किये जाने कारण है। वादिया द्वारा दिनांक 10/02/2016 के द्वारा हकत्याग स्वहित इच्छा से किया गया। अतः उक्त हकत्याग पत्र था वादिया द्वारा पूर्ण हुए उपधारा पत्र के संबंध में सिविल न्यायालय से उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज के संबंध जब तक कोई विनिश्चय घोषणा प्राप्त नहीं कर ले तब तक उक्त वाद पत्र पूर्ण रूप से अपास्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः उक्त वाद पत्र वाद कारण/विधि द्वारा वर्जित होने खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र 07 R11 CPC स्वीकार होने से वाद पत्र खारिज किया जाता है। अनावश्यक वाद की खारीज डिक्री जारी प्रकरण रेकॉर्ड [illegible] दाखिल मिसल किया गया। मिसल [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	कन की पालना अविलम्ब हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी मण्डावा	

प्रतिलिपि

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठासीन अधिकारीः—मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा घोषणार्थ एव स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :– राजस्व वाद संख्या 355/2022 पुराना 169/2021 गीतादेवी बनाम ग्यारसी देवी वगै.

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 20.02.2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार होने पर वाद पत्र खारीज किया जाता है।

वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 20.02.2025 को जारी की गई।

मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा